न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 48/25 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2025/168

अनवान्

श्री मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग श्री चारभुजा जी स्थानक अमरपुरा जागीर तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.। जरिये वादमित्र–

1. श्री नेपाल सिंह पिता स्व. अभय सिंह जी राठौड निवासी अमरपुरा (जागीर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
2. श्री शंकर सिंह पिता फतह सिंह जी राठौड निवासी अमरपुरा (जागीर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
3. श्री दौलत सिंह पिता स्व. लाल सिंह राठौड निवासी अमरपुरा (जागीर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
4. श्री भेरू सिंह पिता हरि सिंह जी राठौड निवासी अमरपुरा (जागीर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
5. श्री रणजीत सिंह पिता स्व. अभय सिंह जी राठौड निवासी अमरपुरा (जागीर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
6. श्री अर्जुन सिंह पिता शंकर सिंह जी राठौड निवासी अमरपुरा (जागीर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
7. श्री सुर्यवीर सिंह पिता स्व. भंवर सिंह जी राठौड निवासी अमरपुरा (जागीर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
8. श्री संग्राम सिंह पिता स्व. भंवर सिंह जी राठौड निवासी अमरपुरा (जागीर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

.............प्रार्थी

बनाम

1. श्री किशना पुत्र मगना जाट निवासी अमरपुरा (जागीर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
2. श्री छोगा पुत्र मगना जाट निवासी अमरपुरा (जागीर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.
3. ब्रांच मेनेजर आईसीआईसीआई बैंक शाखा लूण... कानोड जिला उदयपुर राज.।
4. श्री उप पंजियक कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
5. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर

...........विपक्षीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:51:40 IST
Reason: SelfAttested.

उपस्थित–

1. श्री मुकेश डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री भगवती लाल जैन, अधिवक्ता प्रतिवादी।
3. श्री प्रफुल्ल जैन, अधिवक्ता प्रतिवादी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि

–: : निर्णय : :–

दिनांक:–04.0

1. प्रार्थी ने एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनि तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा अ जागीर पटवार हल्का अमरपुरा जागीर तहसील कानोड जिला उदयपुर साबिक खसरा न. 228 रकबा 1 बिघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है जिसके सेटलमेंट के खाता न. 33 की आराजी न. 308, 309, 311, 317, 322, 330, 336, 398, 411, 315, 316, 417, 446, 450, 460, 464, 626, 894 कि 19 रकबा 4.5500 है. भूमि में से आराजी न. 446 किता 1 रकवा 0.3900 है. यानिकी 1 बिघा 16 बिस्वा भूमि है उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वि संख्या 1 व 2 के नाम पर 1/2–1/2 हिस्से से दर्ज है। यह कि सा आराजी न. 228 रकवा 1 बिघा 16 बिस्वा भूमि जिसके नवीन सेटलमेंट आराजी न. 446 रकवा 0.3900 है. है। उक्त भूमि के खातेदार विपक्षी संख्या एवं विपक्षी संख्या 2 द्वारा श्री मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा जी स्थानक अमरपु जागीर तहसील कानोड जिला उदयुपर राज. में अपनी स्वेच्छा से आस्था चलते दिनांक 04.12.1986 को अपनी उक्त भूमि ग्रामवासी एवं गवाहान की उपस्थित में श्री मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा जी स्थानक को भेंट कर एक (1/-) रूपये के स्टॉप पर भेंट पत्र की लिखापढी का निष्पादन कर उक्त भेट प गवाहों के समक्ष विपक्षीगणों ने अपने हस्ताक्षर कर उक्त भेट पत्र श्री चारभुजा मंदिर स्थानक में सिपुर्द कर दिया तब से उक्त भूमि पर श्री मंदिर मुर्ति श्री चारभुजा स्थानक का कब्जा हो ... उपभोग चला आ रहा हैं तथा उक्त भूमि से प्राप्त होने वाली फसल ... उपयोग ... श्री चारभुजा मंदिर के रख रखाव एवं सेवा, पूजा आदि कार्यो हेतु किया जा चला आ रहा है।
2. यह कि श्री मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा ... स्थानक को भेट की गई भूमि का अंकन राजस्व रेकर्ड में विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम था एवं विपक्षीगणों को उक्त भूमि श्री मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा जी स्थानक के नाम पर राजस्व रेकर्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:51:40 IST
Reason: SelfAttested

अंकित कराये जाने बावत् कहने पर विपक्षीगण हर बार कहते रहे कि हमने स्टाम्प पर भेंट पत्र की पक्की लिखापढी करा कर मंदिर को सिपूर्द कर रखी है आप निश्चित रहे हक जल्द ही उक्त भूमि श्री मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा जी स्थानक के नाम पर राजस्व रेकर्ड में भी अंकित करा देगें और समय निकलता रहा अब चूंकि उक्त भूमि की दरें बढ जाने एवं भूमाफियाओं की नजर उक्त भूमि पर होने से विपक्षीगणों के मन में भी बदयान्ति आ गई और विगत कुछ दिनों से विपक्षी उक्त भूमि पर भूमाफियाओं को लाकर दिखा रहें है और उक्त भूमि विपक्षीगणा अपने नाम पर होने का बेजा फायदा उठाते हुए भूमि भूमाफियाओं को विक्रय कर भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है जबकि उक्त भूमि प्रार्थी श्री मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा जी स्थानक की सम्पति है जिससे विपक्षीगणों को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह कि विगत दिनांक 03.06.2025 को विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा श्री मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा जी स्थानक की भूमि पर अनाधिकृत रूप से भूमि को खुर्द–बुर्द करने के आशय से भूमाफिया किस्म के लोगों को लाकर भूमि दिखाई जा रही थी जिस पर विपक्षी संख्या 1 व 2 को ऐसा करने से मना किया गया तो विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा मौके पर धमकियां दी गई कि यह जमीन हमारे नाम पर है इसलिये हम इस जमीन को खुर्द–बुर्द कर देगें, यह जमीन मंदिर के नही रहने देगें, जबकि उक्त पर श्री मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा जी स्थानक मूर्ति का कब्जा हो उपयोग उपभोग चला आ रहा है। उक्त भूमि पर विपक्षीगणों का कोई हक़ अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 3 के अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 4, 5 के जवाब नहीं देने से विपक्षी संख्या 4, 5 का जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 2 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण ने हम विपक्षीगणों को तंग व परेशान कर अवैध लाभ प्राप्त करने की दुर्भावना से न्यायहित प्रक्रिया का खुल्लम–खुल्ला दुरूपयोग कर पूर्णतया मिथ्या व निराधार वाद प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थीगण वादीगण को सफलता मिलने की तनिक भी संभावना नहीं है। यह कि राजस्व रेकर्ड के अनुसार विपक्षी संख्या 01 की जन्म दिनांक 09.11.1976 एवं विपक्षी सं. 2 की जन्म दिनांक 10.09.1973 है. इसके अनुसार तथाकथित भेंट (दान) पत्र दिनांक 04.12.1986 को दोनों ही व्यक्ति (विपक्षी संख्या 1 व 2) अवयस्क होकर किसी भी प्रकार का संव्यवहार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahedlya
Date: 2025.11.17 14:51:40 IST
Reason: SelfAttested

करने, किसी प्रकार के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए पूर्णतया अपात्र एवं अयोग्य थे। यद्यपि उक्त दोनों ही व्यक्ति (विपक्षी संख्या 01 व 02) ने किसी भी भेंट पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये, तथाकथित भेंट पत्र पर किये गये तथाकथित हस्ताक्षर पूर्णतया फर्जी व बनावटी है तथाकथित 5/– पाँच रुपया के स्टाम्प के पुष्ट पर क्रेता मगनीराम जी के हस्ताखर भी बनावटी एवं फर्जी है, ऐसा दस्तावेज वांछित स्टाम्प पर नहीं होने से साक्ष में ग्राह्य नहीं हैं, प्रार्थीगणों से तथाकथित असल भेंट पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करवाये जाने हेतु विनम्र हैं। विपक्षी सं. 1 व 02 के नानाजी स्व. श्री चतरभुज पिता हेमा जी जाट निवासी अमरपुरा जागीर के उनके जीवनकाल में ही उनके खातेदारी की आराजीयात को उनकी पुत्री श्रीमती देऊबाई के नाम पर नामान्तरित करवा दी और चतरभुज जी के जीवनकाल में ही श्रीमती देऊबाई पत्नी मगनीराम जी जाट का देहानत हो गया इस पर विरासत से श्रीमती देऊबाई पुत्री चतरभुज जी जाट निवासी अमरपुरा जागीर के खातेदारी की कुलिया कृषि भूमि स्व. श्रीमती देऊबाई के बजाय उसके दोनों नाबालिग पुत्र (1) छोगालाल (विपक्षी सं. 02) एवं (2) किशनलाल (विपक्षी सं. 1) के नाम पर राजस्व रेकर्ड में बवलायत नानीजी चतरभुत पिता हेमा जी जाट के नामान्तरित हो गई। यह कि पुरानी आ.न. 228 व नई आ.न. 446 पर कभी भी भगवान चारभुजा जी का अथवा उनकी ओर से किसी भी व्यक्ति का कब्जा नहीं रहा। विपक्षी सं. 1 व 2 ने समझ पकडते ही आ न. 228 जिसके निम्न पडौस है पर भौतिक कब्जा कर लिया तब से लेकर अब तक उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 01 व 02 ही काबिज होकर बिना किसी विघ्न एवं बाधा के निरंतर, निर्बाध एवं खुल रूप से उक्त सभी वादमित्रों एवं आमजन की जनकारी एवं देखते हुए शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है कभी भी एक दिन के लिए भी प्रार्थी चारभुजा जी भगवान अथवा उनकी ओर से किसी का भी कब्जा नहीं रहा न वर्तमान में ही है भगवान चारभुजा जी को शास्वत अवयस्क माना जाता है न तो वों कृषि भूमि पर काबिज होते हें न ही वा काश्त करते हे वादमित्रों ने इस कलम में यह नहीं लिखा कि उक्त तथाकिथत भूमि पर कब–कब किस–किस व्यक्ति ने काश्त की। क्योंकि वादवर्णित भूमि पर कभी भी विपक्षी सं. 01 व 02 के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति का [illegible] वादवर्णित भूमि के पडौस पूर्व देवीलाल पिता भगवान जी जाट की भूमि, प[illegible] ऊ[illegible]लाल पिता नारायण जी जाट की भूमि, उत्तर देवील[illegible] भगवान जी [illegible] की भूमि, दक्षिण चरनोट भूमि।

4. यह कि विपक्षी सं. 01 व 02 ने अपने जीवनकाल में कभी भी वादवर्णित आराजीयात का भेंट पत्र चारभुजा जी भगवान अमरपुरा जागीर के नाम नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:51:40 IST
Reason: SelfAttested

किया और यदि लिखा होता तो ततसमय ही तथाकथित भेंट पत्र के आधार पर राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण खुल गया होता। विपक्षी संख्या 1 व 2 के मन व नीयत में कभी भी लोभ उतपन्न नहीं हुआ बल्कि सभी वादमित्रों के मन एवं मस्तिष्क में लोभ उत्पन्न हुआ और वादवर्णित आराजीयात को भगवान के नाम से हड़पने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का खुल्लम-खुल्ला दुरूपयोग कर विपक्षी सं. 01 व 2 को तंग, परेशान की दुर्भावना से माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त मिथ्या एव निराधार वाद प्रस्तुत किया है। यहां वर यह स्पष्ट कर देना समिचीन होगा कि गांव अमरपुरा जागीर में कई जातियों के व्यक्ति निवास करते हैं और सभी भगवान चारभुजा जी में आस्था एवं विश्वास रखते है उक्त सभी वादमित्र एक ही जात एवं गौत्र के हैं गांव अमरपुरा जागीर का अन्य कोई भी व्यक्ति प्रार्थी नहीं बना इसका क्या कारण हैं ? आजादी से पहले राजपुत जाति शासक रही थी और सभी के पास काफी कृषि भूमि रही थी और कभी भी किसी ने भगवान चारभुजा जी के नाम पर एक ईंच भी जमीन भेंट नहीं की।

5. यह कि वादवर्णित फर्जी हस्ताक्षरों वाले तथाकथित भेंट पत्र के आधार पर वादवर्णित भूमि के भगवान चारभुजा जी खातेदार काश्तकार होने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी एवं सभी वादमित्र न तो वादवर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है और न ही उनका अथवा उनकी ओर से किसी व्यक्ति का कब्जा ही है ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति खातेदार काश्तकार नहीं है कब्जेधारी नहीं है ऐसा व्यक्ति खातेदार काश्तकार एवं उस पर काबिज वयक्ति के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा की राहत कानून प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यह कि भगवान चारभुजा जी का मंदिर सौ से भी अधिक वर्षो पुराना है इनके नाम से न तो किसी भी बैंक मे कोई खाता है न कोई ट्रस्ट है देवस्थान विभाग में ट्रस्ट का पंजीयन करवाने के लिए न्यायालय के आदेश की कोई आवश्यकता नहीं रहती है यह तो एक सामान्य प्रक्रिया है। प्रार्थी के वादमित्रों ने इस कलम में जो भी कथन किये है उसके बारे में राहत की कलम से किसी प्रकार की मांग नहीं की है। अतः ऐसी राहत वादमित्र प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम सं. 10 का जवाब है कि वादमित्र बनने के लिए न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं रहती है [illegible] कर मिथ्या/निराधार वाद प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र – 1 भगवानदास, 2 गोवर्धन, 3 देवीलाल, 4 बाबरू रावत, 5 भंवरलाल जाट, 6 मोहन जाट, 7 हजारी लाल जाट, 8 भुरालाल, 9 हरलाल, 10 वजेराम मेघवाल, 11.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:51:40 IST
Reason: SelfAttested

उदयजती, 12 वजेराम गायरी, 13 कालुलाल गायरी, 14 नारायण लाल सेन, 15 प्रकाश सेन, 16 लक्ष्मण सेन, 17 सुरेश रावत, 18 दिनेश सेन, 19 मोतीलाल गर्ग, 20 गणपत मेघवाल, 21 किशन लाल गायरी, 22, शम्भु लाल, 23 प्रभु लाल गर्ग, 24 गोपाल सालवी, 25 भगवती लाल, 26 रामलाल गायरी, 27 उदयलाल गर्ग, 28 बगदीराम गर्ग, 29 सुरेश चन्द्र मेघवाल, 30 नवल जती, 31 पर्वत सिंह, 32 भंवरलाल गायरी, 33 गिरवर सिंह, 34 शम्भु सिंह, 35 मांगु जती, 36 राम सिंह, 37 गोर्वधन सिंह, 38 भंवरसिंह, 39 केशरसिंह, 40 अमरसिंह, 41 बावरू गायरी के पेश किये गये।

7. अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में शपथ पत्र– 1 देवीलाल जाट, 2 उंकारलाल जाट, 3 मांगीलाल, 4 किशनलाल गायरी, 5 रामलाल गायरी, 6 नारायण गायरी, 7 सुरेश जाट, 8 किशनलाल जाट, 9 मिठूलाल जाट, 10 लच्छीराम जाट के पेश किये गये।

8. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

I. Air 1997 Gujrat, Page – 106.
II. WLN (UC) 1974, Page -101. Ramji Lal and Others v/s Jawahar and others.
III. IIR 1972 (SC), Page – 931, Vinay kumar v/s Smt. Purnima devi
IV. 2018(1) RRT, Page-692. Pan bai v/s Chandra prakash & Anr.
V. 2018 (2) RRT, Page- 1275 Pan bai v/s Chandra prakash & Anr.
VI. AIR 1973 Orisa, Page- 232 Ganesh PaniGrahi v/s Jura sahu and Ors.
VII. AIR 1985 M.P., Page- 252. Ram Pal Singh v/s Nagar Palika Parishad.
VIII. RRT 2021(SC), Page- 1 Shri Ram Sahu (D) thr. L. Rs. & Ors. v/s Vinod Kumar Rawat & Ors.
IX. 2019 (3) DNJ (SC), Page- 148. Poona Ram v/s Moti Ram(D) thr. L. Rs & Ors.
X. 2021 (3) DNJ (SC), Page- 933. Balasubramamian & Anr v/s M. Arockiasamy (D) thr Lr's.
XI. 2022 (3) DNJ (Raj), Page- 1211. Mahaveer & Ors. v/s Omprakash.
XII. Supreem Court 2008, Mandali Ranganna & Anr. v/s Ram Chandra.
XIII. AIR 2020 Chh., Page – 207. Ram Pal Singh v/s Nagar palika parishad.
XIV. 2017(1) DNJ, Page- 1. Annant Pal singh Rajput v/s Sumer Singh Rajput & Anr.
XV. AIR 2019 (SC), Page- 3993. Commissioner of Municipal Adminidtration and Anr. v/s M.C. Sheela Evanjlin and Otr.
XVI. AIR 2020 Utr., Page- 136. Ruchi Saxena v/s Sunil Saxena.
XVII. 2023 Delhi High [illegible] East Municipal Corpo.
XVIII. 1977 AIR, Page- 2421. T. Arivansa[illegible] Satypal & Anrs.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:51:40 IST
Reason: SelfAttested

9. हमने पत्रावली [illegible] का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] निषेधाज्ञा निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवे[illegible] है।

I. **प्रथम दृष्टया मामला :–** प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा जरिये वाद मित्र मूलवाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया तथा उसी के साथ प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसमें बताया कि प्रार्थनाग्रस्त साबिक आराजी न. 228 रकबा 1 बिघा 16 बिस्वा जिसके नवीन सेटलमेंट के बाद नये आराजी न. 446 रकबा 0.3900 है. भूमि को खातेदार विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा श्री मंदिर मूर्ति चारभुजा स्थानक अमरपुरा जागीर को अपनी स्वेच्छा से दिनांक 04.12.1986 को 1 रुपये के स्टाम पर भेट कर लिखा पढी का निष्पादन कर सिपुर्द किया तब से उक्त प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर श्री मंदिर मुर्ति चारभुजा जी स्थानक काबिज है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम अंकित होने से विपक्षी संख्या 1, 2 प्रार्थनाग्रस्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खण्डन किया तथा बताया कि विपक्षी संख्या 1, 2 ने किसी भी भेट पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये तथा तथाकथित भेट पत्र बनावटी व फर्जी बताया। साथ ही बताया कि दिनांक 04.12.1986 को विपक्षी संख्या 1, 2 अव्यस्क थे तथा दस्तावेज के रूप में विपक्षी संख्या 1 की माध्यमिक शिक्षा की अंकतालिका की प्रति पेश कि जिस पर जन्म दिनांक 09.11.1976 अंकित है तथा विपक्षी संख्या 2 टी.सी. प्रमाण पत्र की प्रति पेश कि जिस पर जन्म दिनांक 10.09.1973 अंकित है। उक्त के जवाब में प्रार्थी द्वारा दस्तावेज के रूप में विपक्षी संख्या 2 का पेंशन की प्रति, आधार कार्ड की प्रति पेश की जिसमें विपक्षी संख्या 2 की जन्म दिनांक 01.01.1954 अंकित है। उक्त दस्तावेज से विपक्षी का कथन कि भेंट पत्र की दिनांक विपक्षी अव्यस्क थे में संदेह प्रतीत होता है। प्रार्थी एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर ही तय किया जा सकता है। प्रकरण मंदिर मूर्ति से संबंधित है जो अव्यस्क है। प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद जरिये वादमित्र तथाकथित भेंटपत्र के आधार पर प्रस्तुत किया है। उक्त भेंटपत्र की सत्यता व भेंटपत्र से संबंधित अन्य बिन्दुओं को व दस्तावेजो को मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रथम दृष्टया प्रार्थनाग्रस्त भूमि में अगर किसी प्रकार का हस्तान्तरण होता है तो इससे कानूनी पैचीदगीया बढेगी। प्रकरण में नाबालिग मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा का हित निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

II. **अपूरणीय क्षति :–** प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

III. **सुविधा संतुलन :–**प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:51:40 IST
Reason: SelfAttested

10. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा मूलवाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया तथा उसी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर बताया कि साबिक आराजी न. 228 रकबा 1 बिघा 16 बिस्वा भूमि जिसके नवीन सेटलमेंट के आराजी न. 446 रकबा 0.3900 है. है। उक्त भूमि के खातेदार विपक्षी संख्या 1 एवं विपक्षी संख्या 2 द्वारा श्री मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा जी स्थानक अमरपुरा जागीर तहसील कानोड जिला उदयुपर राज. में अपनी स्वेच्छा से आस्था के चलते दिनांक 04.12.1986 को अपनी उक्त भूमि ग्रामवासी एवं गवाहान की उपस्थित में श्री मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा जी स्थानक को भेंट कर एक (1/–) रूपये के स्टॉप पर भेंट पत्र की लिखापढी का निष्पादन कर उक्त भेट पर गवाहों के समक्ष विपक्षीगणों ने अपने हस्ताक्षर कर उक्त भेट पत्र श्री चारभुजा मंदिर स्थानक में सिपुर्द कर दिया तव से उक्त भूमि पर श्री मंदिर मुर्ति श्री चारभुजा स्थानक का कब्जा हो उपयोग उपभोग चला आ रहा हैं यह कि विगत दिनांक 03.06.2025 को विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा श्री मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा जी स्थानक की भूमि पर अनाधिकृत रूप से भूमि को खुर्द–बुर्द करने के आशय से भूमाफिया किस्म के लोगों को लाकर भूमि दिखाई जा रही थी जिस पर विपक्षी संख्या 1 व 2 को ऐसा करने से मना किया गया तो विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा मौके पर धमकियां दी गई कि यह जमीन हमारे नाम पर है इसलिये हम इस जमीन को खुर्द–बुर्द कर देगें, यह जमीन मंदिर के नही रहने देगें, जबकि उक्त पर श्री मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा जी स्थानक मूर्ति का कब्जा हो उपयोग उपभोग चला आ रहा है। उक्त भूमि पर विपक्षीगणों का कोई हक अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खण्डन किया तथा बताया कि यह कि स्कूल रेकर्ड के अनुसार विपक्षी संख्या 01 की जन्म दिनांक 09.11.1976 एवं विपक्षी सं. 2 की जन्म दिनांक 10.09.1973 है. इसके अनुसार तथाकथित भेंट (दान) पत्र दिनांक 04.12.1986 को दोनों ही व्यक्ति (विपक्षी संख्या 1 व 2) अवयस्क होकर किसी भी प्रकार का संव्यवहार करने, किसी प्रकार के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए पूर्णतया अपात्र एवं अयोग्य थे। यद्यपि उक्त दोनों ही व्यक्ति (विपक्षी संख्या 01 व 02) ने किसी भी भेंट पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये, तथाकथित भेंट पत्र पर किये गये तथाकथित हस्ताक्षर पूर्णतया [illegible] बनावटी है तथाकथित 5/– पाँच रूपया के स्टाम्प [illegible] कथित भगनीराम [illegible] के हस्ताखर भी बनावटी एवं फर्जी हैं, ऐसा दस्तावेज [illegible] नहीं होने से साक्ष में ग्राह्य नहीं हैं, प्रार्थीगणों से तथाकथित असल भेंट पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करवाये जाने हेतु विनम्र हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:51:40 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी सं. 1 व 02 के नानाजी स्व. श्री चतरभुज पिता हेमा जी जाट निवासी अमरपुरा जागीर के उनके जीवनकाल में ही उनके खातेदारी की आराजीयात को उनकी पुत्री श्रीमती देऊबाई के नाम पर नामान्तरित करवा दी और चतरभुज जी के जीवनकाल में ही श्रीमती देऊबाई पत्नी मगनीराम जी जाट का देहान्त हो गया इस पर विरासत से श्रीमती देऊबाई पुत्री चतरभुज जी जाट निवासी अमरपुरा जागीर के खातेदारी की कुलिया कृषि भूमि स्व. श्रीमती देऊबाई के बजाय उसके दोनों नाबालिग पुत्र (1) छोगालाल (विपक्षी सं. 02) एवं (2) किशनलाल (विपक्षी सं. 1) के नाम पर राजस्व रेकर्ड में बवलायत नानाजी चतरभुत पिता हेमा जी जाट के नामान्तरित हो गई। यह कि पुरानी आ.न. 228 व नई आ.न. 446 पर कभी भी भगवान चारभुजा जी का अथवा उनकी ओर से किसी भी व्यक्ति का कब्जा नहीं रहा। विपक्षी सं. 1 व 2 ने समझ पकडते ही आ न. 228 जिसके निम्न पडौस है पर भौतिक कब्जा कर लिया तब से लेकर अब तक उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 01 व 02 ही काबिज होकर बिना किसी विघ्न एवं बाधा के निरंतर, निर्बाध एवं खुल रूप से उक्त सभी वादमित्रों एवं आमजन की जनकारी एवं देखते हुए शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है कभी भी एक दिन के लिए भी प्रार्थी चारभुजा जी भगवान अथवा उनकी ओर से किसी का भी कब्जा नहीं रहा न वर्तमान में ही है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। उक्त के जवाब में प्रार्थी द्वारा दस्तावेज के रूप में विपक्षी संख्या 2 का पेंशन की प्रति, आधार कार्ड की प्रति पेश की जिसमें विपक्षी संख्या 2 की जन्म दिनांक 01.01.1954 अंकित है। उक्त दस्तावेज से विपक्षी का कथन कि भेंट पत्र की दिनांक को विपक्षी अव्यस्क थे में संदेह प्रतीत होता है। प्रार्थी एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर ही तय किया जा सकता है। प्रकरण मंदिर मूर्ति से संबंधित है जो अव्यस्क है। प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद जरिये वादमित्र तथाकथित भेंटपत्र के आधार पर प्रस्तुत किया है। उक्त भेंटपत्र की सत्यता व भेंटपत्र से संबंधित अन्य बिन्दुओं को व दस्तावेजो को मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि में अगर किसी प्रकार का हस्तान्तरण होता है तो उससे सिर्फ कानूनी पैचीदगीयां बढ़ेगी। विप[illegible] प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं [illegible] का है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा जरिये [illegible] पर घोषणा की दाद चाही है जिसमें उक्त भेंटपत्र विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा निष्पादित किये जाने का कथन कहा है। उक्त भेंटपत्र की सत्यता व जन्म [illegible] से संबंधित दस्तावेजो को व अन्य दस्तावेजो को इस पत्रावली में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:51:40 IST
Reason: SelfAttested

निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस पत्रावली में हमें प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपुरणीय क्षति के बिन्दु ही निर्धारित करने है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपुरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जा चुके है। अन्य बिन्दुओं को मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा अमरपुरा (जागीर) पटवार हल्का अमरपुरा (जागीर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078–81 खाता संख्या नया 33 की आराजी न. 446 किता 1 रकबा 0.3900 हे. भूमि में विपक्षीगण मूलवाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:51:40 IST
Reason: SelfAttested